न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 70/2013 (223 आरटीए) नारायणराम बनाम नारूराम के का.मु. वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2013/00058)

नारायणराम पुत्र श्री मगनाराम जाति जाट निवासी धनारी कलां, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 नारूराम पुत्र श्री मगनाराम के कायम मुकाम
1/1 केसाराम पुत्र श्री नारूराम,
1/2 श्रीराम पुत्र श्री नारूराम,
1/3 पप्पूदेवी पत्नी श्री पांचाराम उर्फ कैलाश पुत्री नारूराम,
1/4 श्रीमती सोनी पत्नी नारूराम,

2 श्रीमती मानी बेवा श्री मगनाराम (फोत)

3 कालूराम गोदपुत्र श्री बिरमराम जाति जाट निवासी धनारीकलां, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

4 जालाराम पुत्र श्री तुलछीराम जाति जाट निवासी अहमदपुरा, तहसील व जिला नागौर।

5 सरकारी पैरोकार तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

6 श्रीमान सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर दिनांक 29.12.2009 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 68/2003

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जस्साराम चवेल।

2 रेस्पो. सं. 1/1 की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।

3 रेस्पो. सं. 5 व 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

4 शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 31.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहत सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व वाद सं. 68/2003 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2009 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की ओर से राजस्व वाद सं. 68/2003 पेश किया कि ग्राम धनारी कलां हाल सिंडीया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर का मूल निवासी है। प्रतिवादी सं. 1 वादी का भाई हैतथा प्रतिवादी सं. 2 वादी की माता है। प्रतिवादी सं. 3 वादी का भाई था जो बिरमराम के गोद चला गया था। प्रतिवादी सं. 5 को भूमिधारी होने स तरतीवी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। वादी ने अपने वाद में कथन किया कि ग्राम छिंडिया तहसील भोपालगढ़ की सरहद में जमीन आई हुई है जिसके खसरा नं. 87, 196, 243/87 व 244/87 कुल खसरा चार रकबा 100 बीघ 9 बिस्वा है। उपरोक्त भूमि की मूल खातेदारी मगनाराम पुत्र तुलछाराम, नारूराम, नारायण राम, पि. मगनाराम कौम जाट व कालूराम पुत्र बिरमाराम कौम जाट जिनका उक्त आराजी में हिस्सा बहिस्सा बराबर था वादी के पिता मगनाराम का देहांत हो जाने पर फोतेदगी नामांतरकरण भर दिया गया जिसमें प्रतिवादी सं. 3 कालूराम का नाम सहवन से त्रुटिवश फोतेदगी म्यूटेशन सं. 258 स्वीकृत करके समय वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ–साथ प्रतिवादी सं. 3 का नाम इन्द्राज कर दिया जबकि स्व. मगनाराम के हिस्से की भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के कब्जा काश्त की रही। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा एवं अपनी स्व. पिता मगनाराम के 1/4 हिस्सा में से 12रु हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसकार राजस्व रिकार्ड या मौके पर कोई विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमि सामलाती कब्जा की रही है। संपूर्ण भूमि अविभाजित है। वादी ने अपने वाद में आगे जाहिर किया कि दिनांक 03.09.2003 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजी में अपना 3/8 हिस्सा होना बताकर अपने 3/8 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं. 4 के हक में कर दिया तथा पंजीयन भी करवा दिया एवं बेचान पंजीयन के आधार पर प्रतिवादी सं. 4 ने म्यूटेशन सं. 296 के जरिए राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपना नाम इन्द्राज करवा लिया तथाा वाद अब वादग्रस्त अविभाजित भूमि पर अपनी मनमर्जी से कब्जा करने पर उतारू है। प्रतिवादी सं. 4 बाहर का अजनबी

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व्यक्ति है जब तक विधिपूर्वक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी सं. 4 को उक्त भूमि में बलपूर्वक प्रवेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है और नही उनको अपनी सुविधानुसार मनमाने ढंग से कब्जा करने का अधिकार है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर समान हक व अधिकार हैं। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वादपत्र पेश किया है। वाद पत्र के अंत में जाहिर किया कि वादी के पक्ष में वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी की संपूर्ण भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से माफिक बाई मिट्स बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा करवाया जाकर नक्शे में अलग तरमीम किए जाने का आदेश करावें एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करावें। उक्त वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। पक्षकारों की ओर से दावा एवं जबाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात पांच तनकीयात कायम की गई। वादी ने अपने वादपत्र की पुष्ठि हेतु दस्तावेजी सबूतों के रूप में प्रदर्श–1 से 6 प्रस्तुत की तथा मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं पी.डब्ल्यू 1 व 2 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया। प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 की ओर से अपने जबाब दावा की पुष्ठि में बेचान रजिस्ट्री, बिना प्रमाणित छाया प्रति एवं नामांतररण की बिना प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अधीस्थ न्यायालय ने बहस सुनकर दिनांक 13.03.2008 को वादी की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा खातेदारी अधिकार डिक्री किया गया तदनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम छिंडिया के खसरा नं. 87, 196, 243/87, 244/87 कुल रकबा 100 बीघा 9 बिस्वा है का वादी नारायण राम को 3/8 हिस्से, व प्रतिवादी सं. 3 को 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी सं. 4 को 3/8 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया गया। वाद बाबत बंटवारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादी रामनारायण को 3/8 हिस्से की भूमि माप व सीमांकरन के आधार पर अलग–अलग बंटवारे में प्रदान की गई। साथ में यह आदेश दिया गया कि तहसीलदार भोपालगढ़ बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा एवं लगान कायमी न्यायालय में पेश करे जिसमें पक्षकारान के रास्ते की सुविधा को मध्यनजर रखा जावे। उपरोक्त प्राथमिक डिक्री हो जाने के पश्चात तहसीलदार भोपालगढ़ ने पीडी की पालना में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.12.2009 को अपने द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री के आदेश को अपास्त कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2009 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3 उक्त अपील बउज्र मियाददर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जस्साराम चवेल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध मनमाना, पक्षतापूर्ण एवं तथ्यों एवं परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण सरसरी तौर पर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.03.2008 को अपीलार्थी वाद डिक्री कर प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी कर दिया तत्पश्चात बिना किसी कारण दिनांक 29.12.2009 को आलोच्य निर्णय पारित किया जो एक दम विधि विरुद्ध एवं गैर कानूनी होने से अपास्त किए जाने योग्य है। यह राजस्व विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कोई भी न्यायालय अपने द्वारा पारित निर्णय को स्वयं अपास्त नहीं कर सकता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण बताए अपने द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 13.03.2008 को अपास्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री को अपास्त करने का एक मात्र कारण बताया है कि तहसीलदार भोपालगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारान के बीच में आपसी सहमति से दिनांक 17.08.2004 को ही बंटवारा हो गया तथा मौके पर तरमीम राजस्व रिकार्ड के अनुसार कर दी गई है। जो एक दम गलत अवलंबन लेकर प्राथामिक डिक्री दिनांक 13.03.2008 को निरस्त कर दिया है जो कि सरासर गलत है। वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का प्रतिवादीगण की ओर प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया कि वाद ग्रस्त खसरान की भूमि पर पक्षकारान के बीच में आपसी सहमति से दिनांक 17.08.2004 को बंटवारा हो गया है व तदनुसार राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर तरमीम की कार्यवाही की जा चुकी है। इस प्रकार पक्षकारान के बीच में कभी भी किसी प्रकार का आपसी सहमति से वादग्रस्त खसरों की भूमि को लेकर बंटवारा नहीं हुआ तथा ना ही मौके पर कोई तरमीम कार्यवाही हुई इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.12.2009 अपने आप में विरोधाभाषी होने से खारिज किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया तथा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.2008 को पुनः स्थापित करने व तदनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने का निवेदन किया। अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम प्रार्थी के वकील ने दिनांक 31.03.2010 को दी तत्पश्चात प्रार्थी ने नकल के लिए

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आवेदन किया। निर्णय की प्रति दिनांक 01.04.2010 को प्राप्त हुई उसके बाद अपील अंदर मियाद प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपील में हुई देरी को कंडोन करते हुए धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार करने व अपील को मैरिट पर निर्णित करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1/1 की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में धारा 53, 88, 188 का पक्षकारान के मध्य वाद चल रहा था जिसमें दिनांक 13.03.2008 को प्राथमिक डिक्री जारी हुई व उसके पश्चात दावा प्राथमिक डिक्री की पालना में चल रहा था। लेकिन तहसीलदार भोपालगढ़ ने अपने पत्रांक राजस्व /09/983 दिनांक 09.09.2009 को अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की पालना के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए पक्षकारान द्वारा दिनांक 17.08.2004 को आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया गया। बंटवाड़ा दिनांक 17.08.2004 के अनुसार पटवारी हल्का सोमला द्वारा दर्ज ग्राम छिंडिया के नामांतरकरण सं. 311 दिनांक 28.04.2004 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। पक्षकारान उपरोक्त खाता विभाजन एवं राजस्व रिकार्ड में हुए अमल दरामद के अनुसार ही मौके पर काबिज हैं एवं मौके पर ढाणियां बनाकर अपने–अपने हिस्से में आवास कर रहे हैं। अतः प्रतिवेदन प्रस्तुत कर तहसीलदार की ओर से निवेदन किया गया कि सहमतिखाता विभाजन अनुसार ही बंटवाड़ा आदेश प्रस्तावित है।

रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा निरस्त किया गया है वह गैर कानूनी है। आपसी समझौते के आधार पर प्रकरण का निस्तारण पूर्व में होने से इस प्रकरण को चलाने के आधार पर निस्तारण होना चाहिए था। इस आधार पर अपील में आ गए हैं। लेकिन पूर्व में आपसी समझौते के आधार पर दावे का निस्तारण हो चुका है अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 5 व 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में दौराने दावा आपसी सहमति से खाता विभाजन हो चुका है। अतः प्रकरण में तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अपील में धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपीलांट की ओर से पेश किया गया है। इस प्रार्थना

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी

पत्र का जबाब रेस्पो. की ओर से पेश नहीं हुआ व न ही प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश किया है। अतः न्यायहित में धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

इस प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि दिनांक 26.12.2003 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश हुआ था तथा दिनांक 21.05.2004 को जबाब पेश हुआ। व उसके पश्चात तनकीयात कायम की जाकर व साक्ष्य ली जाकर दिनांक 13.03.2008 को दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया। लेकिन तहसीलदार के प्रतिवदेन के अनुसार 17.08.2004 को उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए पक्षकारान द्वारा दिनांक 17. 08.2004 को आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया गया। बंटवाड़ा दिनांक 17.08.2004 के अनुसार पटवारी हल्का सोमला द्वारा दर्ज ग्राम छिंडिया के नामांतरकरण सं. 311 दिनांक 28.04.2004 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। पक्षकारान उपरोक्त खाता विभाजन एवं राजस्व रिकार्ड में हुए अमल दरामद के अनुसार ही मौके पर काबिज हैं एवं मौके पर ढाणियां बनाकर अपने–अपने हिस्से में आवास कर रहे हैं।

इस प्रकरण में अपीलांट को किए गए बंटवारे से कोई आपत्ति नहीं हैं लेकिन उनका बहस में कथन है कि बंटवारा तो हो चुका है लेकिन दावे के अनुसार अन्य रिलीफ नहीं मिली हैं अतः अपील स्वीकार कर अन्य रिलीफ प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। जबकि रेस्पोडेंट के अधिवक्ता का कथन है कि इस प्रकरण में राजीनामा के आधार पर बंटवारा हो गया है अतः राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण होने से अन्य रिलीफ लेने का अपीलांट अधिकारी नहीं हैं अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

इस संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 19 में प्रावधान इस प्रकार हैं कि यदि जोत विभाजन के वाद के लंबित रहने के दौरान उस वाद के सह अभिधारी किसी करार (समझौते) पर आते हैं तो उस वाद को उस करार की शर्तों के अनुसार डिक्री किया जावेगा। लेकिन इस प्रकरण में दावे के लंबित रहने के दौरान तहसीलदार ने अपने स्तर पर बंटवारा करके सहखातेदार जालाराम पि. तुलछीराम के हिस्से में खसरा नं. 87 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा नं. 243/87 /1 रकबा 5बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा 1 बिस्वा रखी गई। तथा सहखातेदार नारायणराम पि. मंगनाराम के हिस्से में खसरा नं. 87/1 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं. 196 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा भूमि रखी गई। सहखातेदार कालूराम पुत्र बीरमराम के हिस्से में खसरा नं. 243/87 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा तथा

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 244/87 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा कुल 33 बीघा 5 बिस्वा भूमि रखी गई। यह खाता विभाजन तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/04/865 दिनांक 17.08.2004 द्वारा स्वीकृति देने पर किया गया व नामांतरकरण सं. 311 दिनांक 28.08.2004 को तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया।

इस प्रकरण में दिनांक 21.05.2004 को जालाराम पुत्र तुलछीराम द्वारा जबाब दावा पेश किया तथा दिनांक 17.08.2004 को आपसी सहमति द्वारा बंटवारे पर भी हस्ताक्षर किए एवं वादी ने भी नारायणराम ने भी दिनांक17.08.2004 को आपसी सहमति के बंटवारे पर हस्ताक्षर किए हैं। आपसी सहमति का बंटवारा तहसीलदार ने स्वीकृत किया है जिसमें विचाराधीन दावे के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं हैं इसका तात्पर्य यह है कि पक्षकारान ने तहसीलदार से इस तथ्य को छुपाया है। दूसरी ओर दिनांक 05.03.2004 की आदेशिका में अंकित है कि प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार भोपालगढ़ का सम्मन तामील शुदा पत्रावली पर उपलब्ध है। सम्मन के अवलोकन से भी स्थिति स्पष्ट है कि तहसीलार भोपालगढ़ को दिनांक 09.01.2004 को तामील हो चुके थे। इससे अधीनस्थ न्यायालय में दावा चलने की जानकारी तहसीलदार भोपालगढ़ को भी थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंनें आपसी सहमति के आधार पर स्वयं के स्तर पर बंटवारा कर दिया व अधीनस्थ न्यायालय में इसकी सूचना नहीं दी और न ही अपना जबाब पेश किया। इस प्रकार तहसीलदार व पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति से तहसीलदार के स्तर पर बंटवारा करने के तथ्य को छुपाया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इस प्रकरण में न्यायालय में दावा लंबित रहने के दौरान पक्षकारों ने इस तथ्य को छुपाते हुए तहसीलदार के समक्ष आपसी सहमति से बंटवारा कराने हेतु इकरारनामा पेश किया तथा तहसीलदार ने न्यायालय में दावा लंबित रहने के बावजूद भी उस इकरारनामें के आधार पर बंटवारा कर दिया। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा दावे के लंबित रहने के दौरान स्वयं के स्तर से बंटवारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 19 के अनुसार यदि जोत विभाजन के वाद के लंबित रहने के दौरान उस वाद के सह अभिधारी किसी करार (समझौते) पर आते हैं तो उस वाद को उस करार की शर्तों के अनुसार डिक्री किया जावेगा। लेकिन इस प्रकरण में तहसीलदार ने ही सहमति व इकरारनामें के आधार पर स्वयं के स्तर पर बंटवारा कर दिया जो क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर किए जाने से शून्य है। इस बंटवारे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्राथमिक डिक्री को खारिज कर दिया है जबकि कोई भी न्यायालय जारी की गई डिक्री को स्वयं के स्तर पर

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निरस्त नहीं कर सकता है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाते हैं तथा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है अतः प्राथमिक डिक्री को यथावत रखा जाता है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2009 निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुना जाकर प्रकरण में नियमानुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर